पटना समाहरणालय, पटना
(जिला आपूर्ति शाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण का सूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8136/खाद्य, दिनांक 27.12.2013 के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश के तहत् पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड हेतु प्राप्त प्रपत्र के आलोक में विभाग द्वारा तैयार राशन कार्ड के नमूना के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र (अनुभाजन सहित) के लिए राशन कार्ड के मुद्रण कराने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्मो से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जिला पदाधिकारी, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक 24.01.2014 को अपराह्न 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा उसी दिन दिनांक 24.01.2014 को अपराह्न 4.00 बजे जिला क्रय समिति, पटना के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा की विस्तृत विवरण जिला के बेवसाईट **www.patna.bih.nic.in** पर एवं जिला आपूर्ति शाखा, पटना में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

सामग्री का विवरण :–

राशन कार्ड कुल 12 पृष्ठों का होगा। यह राशन कार्ड का मुद्रण लम्बाई 21 सेमी0 एवं चौड़ाई 15 सेमी0 के आकार में किया जायेगा। राशन कार्ड का कभर पृष्ठ (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ) 300 जी0एस0एम0 प्लास्टिक कोटेड कागज ग्रे कलर का होगा। राशन कार्ड के अन्दर के कागज की मोटाई 75 जी0एस0एम0 का होगा। राशन कार्ड के बीच का दो पृष्ठ का डाटा कार्यालय से सफल निविदादाता को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सफल निविदादाता प्रत्येक राशन कार्ड में पंचायतवार/शहरी क्षेत्र (अनुभाजन सहित) एवं प्रत्येक परिवार/हाउस होल्डवार दो–दो पृष्ठ का डाटा जो कार्यालय से उपलब्ध कराया जायेगा, उसे प्रत्येक राशन कार्ड में संलग्न करते हुए परिवार/हाउस होल्डवार एवं पंचायतवार/शहरी क्षेत्र (अनुभाजन सहित) राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(क) निविदा की तकनिकी शर्तें :–

1. फर्म को वाणिज्यकर, सेवाकर एवं आयकर विभाग से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा आयकर पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. तकनिकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, पटना के पक्ष में 25,000 (पच्चीस हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।

3. आवंटित कार्य के Sub Contracting की अनुमति मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under Taking तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub Contracting यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए, जमा की गयी जमानत की राशि को जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. तकनिकी निविदा खोलने के समय विभाग द्वारा दिये गये राशन कार्ड का नमूना के अनुरूप मुद्रित राशन कार्ड का नमूना संलग्न करना होगा।

5. जिला उद्योग केन्द्र के अधीन निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

6. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्हें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

7. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता द्वारा राशन कार्ड के विशिष्टियों के अनुरूप सभी करों सहित प्रति मुद्रित राशन कार्ड की दर अंकित की जायेगी।

8. सफल निविदादाता को आदेश निर्गत करने के 10 दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति कार्यालय में निर्देशानुसार मुद्रित राशन कार्ड की आपूर्ति करनी होगी तथा इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

9. गुणवत्ता में कमी अथवा आपूर्ति में विलम्ब के लिए आपूर्तिकर्त्ता जिम्मेवार होगा एवं तद्नुसार उनके विपत्र का भुगतान स्थगित किया जा सकेगा अथवा विपत्र से समानुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी।

10. सभी करों की स्त्रोत पर कटौती कर भुगतान की जायेगी।

11. विभाग से प्राप्त राशन कार्ड का नमूना जिला आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य दिवस अवधि में देखा जा सकता है।

12. अधोहस्ताक्षरी को निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

जिला पदाधिकारी,
पटना।